UPBS010014432026

न्यायालय ADJ I, Basti

पीठासीन अधिकारी– (SHEO CHAND) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP06040**

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 375/2026

लवकुश बनाम सरकार उ०प्र०

मुकदमा अपराध संख्या 230/2025

धारा 419,420,467,468,471,120B भा०द०सं०

थाना हर्रैया, जिला बस्ती

दिनांक 20.03.2026

श्री सुशील गिरि, एडवोकेट ----आवेदक/अभियुक्त की तरफ से

श्री वेदप्रकाश पाण्डेय, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौ० --अभियोजन पक्ष की तरफ से

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा– 482 बी०एन०एस०एस०/438 सी०आर०पी०सी० आवेदक/ अभियुक्त लवकुश पुत्र हीरामोती, साकिन–वीरपुर (रानियापुर), थाना–छपिया, जनपद–गोण्डा की ओर से उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रस्तुत मामले में संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि––वादी मुकदमा मो० नसीम पुत्र मो० यासीन ग्राम मटिहनियां थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती का निवासी है। प्रार्थी को जमीन कि आवश्यकता थी उसकी मुलाकात प्रॉपर्टी डीलर इन्द्रेश कुमार पुत्र रामजी निवासी कौड़ीकोल, थाना कप्तानगंज, जिला बस्ती एवं हकीम पुत्र मोतीराम निवासी बरहना थाना कप्तानगंज, जिला बस्ती से हुई। इन्द्रेश कुमार एवं हकीम ने प्रार्थी की मुलाकात सुशील कुमार वर्मा पुत्र रामशब्द चौधरी निवासी भोपालपुर थाना कप्तानगंज, जिला बस्ती से कराया, जिन्होंने अपना नाम राजू पुत्र विजय कुमार निवासी सिटकोहर थाना गौर जिला बस्ती बताया तथा अपने ग्राम स्थित गाटा संख्या 362/0.5210 हे0 व 319/0.2850 हे0 में से अपना हक हिस्सा याची 0.10075 हे0 सम्पूर्ण हिस्सा की खतौनी और मौका दिखाया तथा मु0–11,00,000 रु0 में बेचना तय किये। प्रार्थी के पास पूरा पैसा बैनामे के लिए पर्याप्त नहीं होने पर सुशील कुमार वर्मा को रूपयों की अति आवश्यकता के कारण प्रार्थी ने पिता मो० यासीन के नाम के तीन चेक मु०–10,60,000/–रु० इन्द्रेश कुमार से भरा कर राजू वर्मा को देकर रजि० एग्रीमेन्ट दिनांक 08.02.2024 को उपनिबन्धक कार्यालय हरैया पर पहुंच कर कराया, अपने ही साथियों लवकुश पुत्र हीरामोती निवासी बीरपुर जिला गोण्डा एवं अनिल कुमार पुत्र जयराम निवासी रतास उर्फ कप्तानगंज क गवाह बनाकर फर्जी एग्रीमेन्ट तहरीर कर दिया। ग्यारहवे माह में बकाया रूपया तथा बैनामे हेतु रुपया एकत्र कर जमीन पर कब्जा करने लगा तो मौके पर वास्तविक राजू वर्मा पुत्र विजय कुमार ने

Digitally signed by SHEO CHAND
Date: 2026.03.23 16:24:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कब्जा करने से आपत्ति किया तो प्रार्थी ने एग्रीमेन्ट दिखाया तो वास्तविकता का पता चला कि एग्रीमेन्ट करने वाला व्यक्ति राजू वर्मा का जीजा सुशील कुमार वर्मा है जिसने अपने साले की भूमि को बेईमानी पूर्वक नीयत से प्रार्थी को दिखाकर छल व धोखाधड़ी करके प्रार्थी के मु०–10,60,000/–रु० ले कर तहसील हरैया चलकर फर्जी एग्रीमेन्ट तैयार करा दिया। जानकारी होते ही प्रार्थी अपने पिता के साथ सुशील कुमार वर्मा से मिला और कहा कि तुमने मेरे साथ छल व धोखाधड़ी कर अपने साले राजू वर्मा की जमीन दिखाकर राजू वर्मा बनकर एग्रीमेन्ट कर फ्रॉड किया है, मेरा रुपया वापस कर दो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ एंव तुम्हारे साथियों के खिलाफ मुकदमा करूंगा, दबाव बनाने पर एक इकरारनामा बनाकर सुशील कुमार वर्मा ने प्रार्थी के रूपये के बावत दो चेक, चेक संख्या 277082, 277078 मु0–10,60,000/–रु० का पिता मो० यासीन के नाम दिया जो अनादृत हो गया। सुशील कुमार वर्मा एंव उनके नाजायज गोल के सदस्यों द्वारा प्रार्थी को गुमराह करते हुए छल व धोखाधडी व प्रतिरूपण कर फर्जी एग्रीमेन्ट तैयार कराकर प्रार्थी के रूपयो को हड़प लिया है। प्रार्थी ने घटना की सूचना थाने पर दिया पर कोई सुनवाई नहीं हुई तब प्रार्थी पुलिस अधीक्षक बस्ती को प्रार्थना पत्र दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थी मजबूर होकर न्याय के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वादी मुकदमा का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) दं०प्र०सं० के आधार पर थाना हर्रैया में अभियोग अपराध सं०–**230/2025** पंजीकृत किया गया।

3. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में संक्षेप में कथन है कि आवेदक एक सम्भ्रान्त परिवार का समाज में अच्छी साख रखने वाला व्यक्ति है। प्रार्थी को उक्त अपराध की कोइ जानकारी नहीं है। वादी मुकदमा ने ग्राम सिटकोहर तहसील हरैया, जिला–बस्ती में गाटा सं०–362/0.5210 हे० व 310/0.2850 हे० में से सम्पूर्ण हक व हिस्सा का एग्रीमेन्ट कराया, जिससें आवेदक वादी मुकदमा की तरफ से एग्रीमेन्ट में गवाह बन गया है। चूँकि आवेदक वादी मुकदमा को जानता है, उसी के कहने पर गवाह बन गया है। बाद में समय बीतने पर पता चला कि एग्रीमेन्ट फर्जी है तो वादी मुकदमा ने न्यायालय में 173(4) बी०एन०एस०एस० दाखिल कर आवेदक के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया, जबकि आवेदक को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आवेदक न तो क्रेता है, न ही विक्रेता न ही कोई लेन–देन हुआ है। वादी मुकदमा द्वारा घटना काफी विलम्ब से लगभग डेढ़ वर्ष पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट जरिये 173(4) बी०एन०एस०एस०द्वारा किया गया है। उक्त मुकदमे में आवेदक नामजद अभियुक्त नहीं है। बाद में वादी मुकदमा एवं मुकामी पुलिस की मिलीभगत से आवेदक को अभियुक्त बनाया गया है। उक्त अपराध अजमानतीय है। आवेदक प्रथम अपराधी है। वह किसी दाण्डिक मामले में दण्डित नहीं है, उसके पलायन की कोई आशंका नहीं है। आवेदक पुलिस अधिकारी द्वारा अनुसंधान के सिलसिले में पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसा और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा। आवेदक इस मामले में तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षतः उसे कोऐ उत्प्रेरणा धमकी या वचन न देगा। भारत न छोड़ने का शर्त माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक पर अधिरोपित की जाती है तो बिना न्यायालय की अनुमति के

बाहर नहीं जायेगा। आवेदक माननीय न्यायालय के प्रत्येक निर्देशों का पालन करता रहेगा। ऐसा न करने में कोई चूक नहीं होगा। उक्त कथन करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना किया है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियुक्त/आवेदक के अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का तीव्र विरोध किया गया है।

5. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. आवेदक/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र धारा–482 बी०एन०एस०एस०/438 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। धारा–438 दं०प्र०सं० यह प्रावधानित करती है कि जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है, उसको किसी अजमानतीय अपराध के किये जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जाये, तो वह इस धारा के अधीन निदेश के लिये उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाये, और उच्च न्यायालय, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुये अर्थात् :

(1) अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता

(2) आवेदक के पूर्ववृत्त जिसमें यह तथ्य भी है कि क्या उसने किसी संज्ञेय अपराध की बावत किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले सजा भुगती है:

(3) न्याय से भागने की आवेदक की सम्भाव्यता; और

(4) जहां आवेदक द्वारा उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमान करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया है, या तो तत्काल आवेदन अस्वीकार करेगा या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिये अन्तरिम आदेश देगा ।

7. अतः उपरोक्त विष्लेशण से स्पष्ट है कि अग्रिम जमानत के मामले में अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता एक प्रमुख घटक है। इस स्तर पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त द्वारा अपने सहयोगी के साथ मिलकर कूटरचित ढंग से वादी मुकदमा से बेईमानी की नीयत से फर्जी व कूटररचित दस्तावेज तैयार कर दूसरे की जमीन दिखाकर छल व धोखाधड़ी करके प्रार्थी के मु०–10,60,000/–रु० हड़पने का आरोप है। **श्रीकान्त उपाध्याय बनाम बिहार राज्य क्रिमीनल अपील सं० 20/2024 विशेष अनुमति याचिका (सी०आर०एल०) सं० 7940/2023** के मामले में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि अभियुक्त अग्रिम जमानत के हकदार नहीं है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, जो आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय अपराध है। आवेदक के फरार होने की प्रबल संभावना है। अग्रिम जमानत पर रिहा होने के फलस्वरूप अभियोजन साक्ष्य प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

मु०अ०सं० 230/2025 के अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120B भा०दं०सं० थाना हर्रैया, जिला बस्ती में आवेदक/अभियुक्त लवकुश पुत्र हीरामोती द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–375/2026 निरस्त किया जाता है।

(शिवचन्द)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं–1 बस्ती।